राजस्थान राज्य महिला आयोग

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

2009–2010

राजस्थान राज्य महिला आयोग

लाल कोठी, टोंक रोड, जयपुर

फोन : 2779001–4 फैक्स : 2779002

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
अध्याय – 1	संगठन व शक्तियां	
अध्याय – 2	आयोग का वित्तीय स्वरूप	
अध्याय – 3	आयोग का कार्यक्षेत्र	
अध्याय – 4	कार्यशाला व सेमीनार एवं जागरूकता कार्यक्रम	
अध्याय – 5	आयोग द्वारा निस्तारित सफल प्रकरणों का विवरण	
अध्याय – 6	वर्ष 2009–10 में प्राप्त शिकायतों का विवरण	

अध्याय – 1 – संगठन व शक्तियाँ

I. राजस्थान में महिला आयोग की स्थापना

राजस्थान में राज्य महिला आयोग की स्थापना के लिये राज्य सरकार द्वारा 23 अप्रैल, 1999 को एक विधेयक राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक के पारित होने पर दिनांक 15 मई, 1999 को राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ***राजस्थान राज्य महिला आयोग*** का गठन किया गया।

II. आयोग की संरचना

आयोग के अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आयोग में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष और सदस्य सचिव सहित चार सदस्य होंगे। सदस्यों में से एक अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की और एक अन्य पिछड़ी जाति की महिला होगी। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक F-19(295)/99/WCD/46 दिनांक 15–04–2006 के अनुसार तृतीय आयोग की संरचना निम्नानुसार हैः

श्रीमती तारा भण्डारी	:	अध्यक्ष
श्रीमती सुषमा चौधरी	:	सदस्य
श्रीमती आरती शर्मा	:	सदस्य
श्रीमती सुधा जाजोरिया	:	सदस्य
श्रीमती द्रोपदी मलिक	:	सदस्य सचिव

III. आयोग में स्वीकृत पदों का विवरण

(अ) अध्यक्ष कार्यालय

नाम पद	स्वीकृत
निजी सचिव	1
वरिष्ठ निजी सहायक	1
कनिष्ठ लिपिक	1
निजी सहायक	1
योग :–	4

(ब) सदस्य सचिव कार्यालय

नाम पद	स्वीकृत
सदस्य सचिव	1
आशुलिपिक (द्वितीय श्रेणी)	1
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2
योग :–	4

(स) पंजीयक सह–विशेषाधिकारी कार्यालय (राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा)

नाम पद	स्वीकृत
रजिस्ट्रार	1
आशुलिपिक (द्वितीय श्रेणी)	1
लेखाकार	1
वरिष्ठ लिपिक	2
कनिष्ठ लिपिक	7
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	9
योग :–	21

(द) उप–सचिव (राजस्थान प्रशासनिक सेवा वरिष्ठ वेतन श्रृंखला)

नाम पद	स्वीकृत
उप–सचिव	1
आशुलिपिक (द्वितीय श्रेणी)	1
योग :–	2

इसके अतिरिक्त राज्य महिला आयोग में युनीसेफ व यूएनएफपीए एवं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के वित्तीय सहयोग से क्रमशः सुरक्षित मातृत्व इकाई, परिवार परामर्श केन्द्र एवं परिवार परामर्श समन्वय केन्द्र संचालित किए जा रहे है जिसमें स्वीकृत पदों का विवरण निम्नलिखित हैः–

(य) सुरक्षित मातृत्व इकाई कार्यालय

नाम पद	स्वीकृत
समन्वयक	1
कम्प्यूटर ऑपरेटर	1
सहायक	1
योग :–	3

(र) परिवार परामर्श केन्द्र

नाम पद	स्वीकृत
परामर्शदाता	2
योग :–	2

(ल) यू.एन.एफ.पी.ए. के सौजन्य से संचालित परिवार परामर्श समन्वय केन्द्र नेटवर्किंग परियोजना (30 जून 2008 तक)

नाम पद	स्वीकृत
समन्वयक	1
योग :–	1

IV. आयोग के कार्य

अधिनियम की धारा 11 में आयोग के कार्यों का विस्तृत उल्लेख किया गया है। अधिनियम के अनुसार संक्षिप्त में आयोग के मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं:

(1) महिलाओं के खिलाफ होने वाले किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार की जांच करना, उस पर विनिश्चय करना और उस मामले में की जाने वाली कार्यवाहियों की सरकार को सिफारिश करना।

(2) प्रवृत्त विधियों व उनके प्रवर्तन को महिलाओं के हित में प्रभावी बनाने के लिए कदम उठाना।

(3) राज्य लोक सेवाओं और राज्य लोक उपक्रमों में महिलाओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकना।

(4) महिलाओं की दशा में सुधार करने की दृष्टि से कदम उठाना यथा कल्याणकारी उपायों की सरकार को सिफारिश करना, समान अवसर प्रदान करवाने के उद्देश्य से सकारात्मक योजनाएँ सरकार को सुझाना, महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशा के सम्बन्ध में तुलनात्मक अध्ययन व आंकड़ों के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों के समर्थन की कार्यवाहियों को गति प्रदान करना।

(5) आयोग की दृष्टि में यदि किसी भी लोक सेवक ने महिलाओं के हितों का संरक्षण करने में अत्यधिक उपेक्षा या उदासीनता बरती है तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये सरकार से सिफारिश करना।

(6) महिलाओं से सम्बन्धित विद्यमान कानूनों की समीक्षा करना तथा महिलाओं को समुचित न्याय मिले इस दृष्टि से कानून में आवश्यक संशोधन की सरकार से सिफारिश करना।

अधिनियम की धारा 14 के अनुसार आयोग राज्य सरकार को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। धारा 14 खण्ड (2) के अनुसार राज्य सरकार आयोग की सिफारिशों पर प्रस्तावित कार्यवाही व सिफारिशों को अस्वीकार किये जाने के कारणों के ज्ञापन सहित, आयोग की रिपोर्ट विधानमण्डल के सदन के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

V. आयोग की शक्तियाँ

अधिनियम की धारा 10 में विस्तृत रूप से आयोग की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। धारा 10, खण्ड (1) के अनुसार आयोग को किसी भी जांच के प्रयोजन के लिए सिविल न्यायालय की शक्तियां प्रदत्त हैं। यदि आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मामले में अनुचित व्यवहार किया गया है या मामले में कार्यवाही किये जाने का कोई विशेष आधार प्रतीत होता है, वहां आयोग राज्य सरकार को इस मामले में कार्यवाही करने की और अभियोजन प्रारम्भ करने की सिफारिश कर सकता है। धारा 12 खण्ड (4) के अनुसार आयोग की सिफारिशों की प्राप्ति की तारीख से तीन माह के भीतर राज्य सरकार उन पर विनिश्चय करने व आयोग को उसकी सूचना देने के लिए प्रतिबद्ध है।

अधिनियम की धारा 12 के तहत आयोग को महिलाओं के विरुद्ध होने वाले किसी भी अनुचित व्यवहार की जांच करने का अधिकार है। धारा 13 के अनुसार, अन्वेषण पश्चात् यह समाधान

हो जाने पर कि किसी व्यक्ति ने दाण्डिक अपराध किया है, सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध आयोग अभियोजन प्रारम्भ कर सकेगा।

महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार, हिंसा व उत्पीड़न की अनेकानेक घटनाओं पर अंकुश लगा पाने व प्रभावी रूप से अपने महत्त्वपूर्ण कार्यो को सम्पादित कर पाने की दृष्टि से अधिनियम द्वारा प्रदत्त उपर्युक्त शक्तियां अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। समाज में महिलाओं के प्रति व्याप्त भेदभाव को दूर करने के लिए यह शक्तियां आयोग के लिए महत्त्वपूर्ण अस्त्र के रूप में कार्य करेंगी व आयोग के लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग को सुगम बनाने में सहायक सिद्ध हो सकेंगी।

उल्लेखनीय है कि केरल के बाद राजस्थान ही देश का दूसरा राज्य है जिसमें राज्य महिला आयोग को अभियोजन करने का अधिकार प्राप्त है। अधिनियम में इन शक्तियों का समायोजन राज्य की जनता, विधायिका व सरकार की महिला अधिकारों के प्रति संवेदनशील विचारधारा का परिचायक है।

VI. राज्य सरकार द्वारा आयोग से परामर्श किया जाना

राज्य सरकार महिलाओं को प्रभावित करने वाले प्रमुख नीतिगत विषयों के सम्बन्ध में आयोग से समय–समय पर परामर्श करेगी।

VII. महिला नीति की क्रियान्विति

राजस्थान राज्य सरकार द्वारा 08 मार्च, 2000 को राज्य महिला नीति की घोषणा की गई। राज्य महिला नीति की संरचना एवं घोषणा में राज्य महिला आयोग का सक्रिय योगदान रहा है। इस संबंध में राज्य महिला आयोग महिला एवं बाल विकास विभाग से समन्वय स्थापित कर समय–समय पर महिला नीति के क्रियान्वयन की रिपोर्ट प्राप्त करता है और इस आधार पर अपनी समीक्षात्मक टिप्पणी राज्य सरकार को प्रेषित करता है।

अध्याय – 2 आयोग का वित्तीय स्वरूप

राजस्थान राज्य महिला आयोग को राज्य सरकार द्वारा अनुदान राशि उपलब्ध करवाई जाती है। आयोग में कार्यरत जेण्डर प्रकोष्ठ के खर्चे हेतु यूनिसेफ द्वारा तथा परिवार परामर्श केन्द्र के लिए एन.आर.एच.एम. व यूएनएफपीए के द्वारा राशि उपलब्ध करवाई जाती है। वर्ष 2009–2010 में आयोग द्वारा प्राप्त की गई एवं व्यय की गई राशि का विवरण निम्नांकित है।

Income & Expenditure Statement for the Year 2009-2010

S. No.	Income	Amount	Expenditure	Amount
1.	**Opening Balance**	50,73,719.71		
	(i) At Donation A/c 56515.98		1. Commission Expenditure	83,98,749.00
	(ii) NCW - 11,795.00		2. Gratuity (PD A/c-122)	41,767.00
	(iii)Unicef- 717.39			
	(iv) N.R.H.M. 518724.00		3. Unicef Expenditure	3,84,465.39
	5,87,752.37		(i) Exp. 2,79,760.00	
	(v) Commission: -		(ii) Refund to Unicef 1,04,705.39	
	P.D.A/cNo.14-(Emp. fund) 15,74,283.00			
	P.D.A/c No.122 - 22,08,995.00			
	Cash at Bank 701,716.34			
	Cash in Hand 973.00			
	44,85,967.34			
2.	**Receipt**			
	(i) State Government	1,10,00,000.00	1. Assistance to needy women	500.00
	(ii) Unicef	4,66,219.00	2. NRHM	2,15,258.00
	(iii) NRHM	Nil		
			4. **Closing Balance**	75,69,425.07
			(i) Unicef 82,471.00	
			(ii) NRHM 3,03,466.00	
			(iii) NCW 11,795.00	
			(iv) UNFPA Nil	
			3,97,732.00	
			(v) Commission: -	
			P.D.A/cNo.14-(Emp. fund) 15,32,516.00	
			P.D.A/c No.122 - 48,76,308.00	
			Cash at Bank 7,60,597.07	
			Cash in Hand 2272.00	
			71,71,693.07	
3.	Bank interest on SB A/c	19,936.00		
4.	Bank int. on Donation Bank A/c	1939.10	At Donation A/c	57,955.08
5.	Tender form	Nil		
6.	Nakal Charges	3438.00		
7.	Int. on PD A/c	67,313.00		
8.	Misc. Deposit (L/F No. 70)	35,554.73		
	Total	**1,66,68,119.54**	**Total**	**1,66,68,119.54**

वित्तीय वर्ष 2009–2010 के लेखों का निरीक्षण स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।

अध्याय – 3 आयोग का कार्यक्षेत्र

राज्य महिला आयोग राज्य में महिलाओं पर अत्याचार, दुराचार, असमानता इत्यादि के सम्बन्ध में प्राप्त सभी शिकायतों पर कार्यवाही करता है, चाहे वह शिकायत लिखित रूप में प्राप्त हुई हो, मौखिक रूप में हो अथवा अन्य किसी आधार पर आयोग द्वारा संज्ञान लिया गया हो, लिखित रूप में की जाने वाली शिकायत महिला आयोग को सम्बोधित होनी आवश्यक है।

आयोग में महिला उत्पीड़न के विभिन्न मामले जैसे :– दहेज, दहेज के कारण क्रूरता, दहेज हत्या, घरेलू हिंसा, बलात्कार, यौन शोषण, कार्यस्थल पर यौन शोषण, रोजगार में भेदभाव, जमीन–जायदाद में हिस्सा न देना, उत्तराधिकार, द्विविवाह, पति द्वारा अभित्यजन, सम्बन्धियों द्वारा यौन शोषण आदि से सम्बन्धित शिकायतें दर्ज की जाती है।

आयोग द्वारा प्राप्त शिकायतों में निम्न प्रकार से कार्यवाही की जाती है :–

- पुलिस द्वारा किये जा रहे जांच कार्य को गति प्रदान करना।
- विभिन्न अधिकारियों द्वारा महिला उत्पीड़न सम्बन्धी मामलों में की जाने वाली कार्यवाही निश्चित अवधि में सुनिश्चित करवाना।
- कामकाजी महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाव हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सन् 1997 में विशाखा बनाम राजस्थान राज्य वाद में दिए गए दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाना एवम् दिशा–निर्देशो के अनुसार समस्या का समाधान सुनिश्चित करवाना।
- गम्भीर मामलों में घटना स्थल पर जाकर जांच करना।

ऐसे मामलों में, जिनमें आयोग उचित समझता है, शिकायत से संबंधित पक्षकारों को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग में बुलाया जाता है तथा पक्षकारों को राहत प्रदान करने के लिए उचित कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है। आयोग पक्षकारों द्वारा शिकायत प्राप्त होने पर आपसी बातचीत द्वारा समाधान करवाने का प्रयास करता है।

राज्य महिला आयोग महिला सशक्तीकरण के लिए अपने कार्यक्षेत्र को पांच प्रकोष्ठों में बांट कर कार्य कर रहा है। जिसकी विस्तृत कार्यप्रणाली निम्न प्रकार है।

3.1 सुरक्षित मातृत्व इकाई :–

राजस्थान राज्य में जैण्डर समानता, सामाजिक समानता व महिला सशक्तीकरण के साथ–साथ मातृ मृत्यु दर व शिशु मृत्युदर में कमी लाने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर पैरवी हेतु राजस्थान राज्य महिला आयोग में यूनीसेफ के सहयोग से सुरक्षित मातृत्व इकाई का संचालन किया जा रहा है। इस ईकाई के माध्यम से राज्य महिला आयोग जैण्ड़र समानता, अधिकार के साथ सुरक्षित मातृत्व, सामाजिक समानता एवं महिला सशक्तीकरण के मुद्दों पर कार्य कर रहा है। जिसके अन्तर्गत महिला सशक्तीकरण एवं आमुखीकरण से सम्बन्धित कार्यशालाओ, महिला जनसुनवाई, जनसंवाद, सम्मेलन एवं प्रलेखन आदि का कार्य किया जाता है। सुरक्षित मातृत्व इकाई आयोग के कार्यक्षेत्र व निर्देशों के अनुसार राज्य एवं जिला स्तरीय प्रशासन व

विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों व विभागों से समन्वय करती है और उन्हें महिला सशक्तीकरण, जैण्डर समानता व सामाजिक समानता को सुनिश्चित करने के लिए नियोजित करती है। यह प्रकोष्ठ महिला आयोग के लिए महत्वपूर्ण इकाई के रूप में कार्य करता है क्योंकि ऐसी उत्पीडित महिलाऐं जिनको महिला आयोग के बारे में जानकारी नहीं है या वह आयोग तक पहुंच नहीं पाती है तो उन महिलाओं की आयोग जिला मुख्यालय पर जाकर स्थानीय जिला प्रशासन के साथ महिला जनसुनवाई आयोजित करता है और यथा सम्भव उत्पीडित महिलाओं को तुरंत राहत दिलवाता है।
सुरक्षित मातृत्व इकाई के अंतर्गत सम्पादित किये जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण निम्न प्रकार है।

अ – महिला जनसुनवाई

उद्देश्य

राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम की धारा 15 खण्ड (i) के अनुसार महिलाओं से सम्बन्धित मामलों में उनकी पीड़ा सुनकर उसका निदान करवाना आयोग का एक प्रमुख कार्य है। समता व समानतापूर्ण समाज का सपना साकार करने के लिए महिलाओं को जागरूक बनाने का इस दिशा में विशेष महत्त्व है। इसी उद्देश्य से आयोग द्वारा समय–समय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। इस क्रम में महिलाओं को त्वरित न्याय दिलवाने व महिलाओं के साथ हो रहे विभिन्न प्रकार के सामाजिक अन्याय की वास्तविक स्थिति की जानकारी लेने की दृष्टि से आयोग द्वारा विभिन्न स्थानों पर जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। महिला सशक्तीकरण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर आयोजित इन महिला जनसुनवाईयों का आयोजन आयोग द्वारा यूनीसेफ, राजस्थान से वित्तीय सहयोग प्राप्त कर किया जाता है।

राजस्थान राज्य महिला आयोग महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण व अत्याचार जैसे मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए आयोग में प्राप्त समस्याओं और शिकायतों के निराकरण हेतु समय–समय पर जनसुनवाईयों का आयोजन कर महिलाओं को न्याय दिलाने व उन्हें संबल प्रदान करने का कार्य करता है।

जन–सुनवाई कार्यक्रम के आयोजन में मुख्य रूप से राज्य महिला आयोग, यूनीसेफ राजस्थान, सम्बन्धित स्थल पर कार्यरत स्वयंसेवी संगठन, जिला प्रशासन एवं महिला एवं बाल विकास विभाग की भागीदारी रहती है।

जन–सुनवाई आयोजन का मुख्य उद्देश्य उन महिलाओं को न्याय व राहत दिलवाना है, जो पीड़ित हैं तथा आयोग कार्यालय पहुंचने में असमर्थ हैं।

कार्यक्रम की प्रक्रिया

जिस स्थान पर जन–सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, उस क्षेत्र की निर्धारित आयोजक संस्था (स्वयंसेवी संगठन अथवा जिला महिला विकास अभिकरण) द्वारा पीड़ित महिलाओं का पंजीयन किया जाता है। पीड़िता को भी व्यक्तिगत रूप से बुलाकर उसकी समस्या सुनी जाती है तथा मौके पर ही उचित कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को तत्काल

उचित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाता है। जन–सुनवाई के दौरान प्राप्त प्रकरणों को यथासम्भव सुनवाई स्थल पर ही निस्तारित करने के प्रयास किये जाते हैं लेकिन कुछ प्रकरणों के निस्तारण में जाँच कार्यवाही के कारण समय लगता है। उन प्रकरणो की आयोग द्वारा निगरानी की जाकर पीड़िता को न्याय दिलवाया जाता है। जन–सुनवाई में पीड़िता निर्भीक होकर अपनी बात आयोग को कहती है, जिससे समस्या की गहराई तक जाकर उसका समाधान त्वरित गति से किया जाना सम्भव हो जाता है। पीड़िता से सीधा संवाद स्थापित होने से वह भी अपने आप को संकट के समय अकेला महसूस नहीं करती है। जनसुनवाई के साथ–साथ महिला जागरूकता के भी प्रयास किये जाते है। इस प्रकार राजस्थान राज्य महिला आयोग महिला सशक्तीकरण की दिशा में निरन्तर प्रयास कर रहा है।

15 अप्रेल 2009 के पश्चात आयोग का गठन नही होने के कारण वर्ष 2009–10 में महिला जनसुनवाई का आयोजन संभव नहीं हो सका।

जिला स्तरीय महिला जागरूकता शिविर

राज्य महिला आयोग द्वारा जनसुनवाई कार्यक्रमों के सफल संचालन व प्रकरणों के निस्तारण के दौरान यह महसूस हुआ कि महिला सशक्तीकरण हेतु व्यक्तिगत प्रकरणों के निस्तारण के साथ–साथ ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाना आवश्यक है जिसमें महिला हिंसा की रोकथाम हो तथा महिलाओं की समस्याओं का शीघ्र समाधान स्थानीय स्तर पर किया जा सके, इस हेतु आवश्यकता है कि स्थानीय स्तर पर कार्यरत कार्यकर्ताओं को महिलाओ के अधिकार व सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की एवं महिला कानून की सही एवं पूर्ण जानकारी दी जावे। जिसके फलस्वरूप स्थानीय स्तर से जिला स्तर तक महिलाओं को सही मार्गदर्शन मिले व कार्यकर्ता भी जागरूक होकर बेहतर ढंग से कार्य कर सके। अतः आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 11 खण्ड XV के क्रम में जिला स्तर पर महिला जागरूकता शिविर भी लगाये जाते है।

शिविर में संदर्भ व्यक्ति के रूप में जिला प्रशासन के अधिकारी, जिला स्तरीय न्यायिक अधिकारी, आयोग की अध्यक्ष व सदस्यगण तथा समाज सेवियों द्वारा भागीदारी की जाती है। शिविर में सत्रवार चर्चा, चेतना गीत, नाटक तथा सामूहिक चर्चा के द्वारा फील्ड़ स्तरीय महिला कार्यकर्ताओं को महिलाओं के अधिकार एवं कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई ताकि वे अपने कार्यक्षेत्र में इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक पहुॅचा सके।

3.2 परिवार परामर्श केन्द्र

आधुनिक सामाजिक जटिलताओं के कारण मानव सम्बन्धों की प्रकृति और स्वरूप में परिवर्तन आया है। व्यक्तिगत स्तर पर आत्मकेन्द्रित व स्वार्थी दृष्टिकोण तथा पारिवारिक व सामाजिक स्तर पर उच्च अपेक्षाओं ने लोगों की शारीरिक एवं मानसिक परेशानियों को बढ़ा दिया है। कई बार 'सामान्य' माने जाने वाले व्यक्ति का भी भावनात्मक एवं व्यवहारात्मक स्तर पर स्वरूप मानवीय सम्बन्धों में नवीन प्रकार की विषमताएँ व तनाव उत्पन्न कर देता है। समाज का कोई भी वर्ग इस प्रकार की सामाजिक व भावनात्मक समस्याओं से अछूता नहीं है, विशेषरूप से महिलाओं की स्थिति वर्तमान सन्दर्भो में अधिक जटिल व विषम हो गई है। ऐसी परिस्थिति में महिला अपनी प्रतिकूल

परिस्थितियों के कारण यह नहीं समझ पाती कि उसे क्या व किस दिशा में कदम उठाना चाहिए। इस कारण उसे समय पर उचित न्याय नहीं मिल पाता है।

इस प्रकार की समस्याओं के निदान में परामर्श की भूमिका एवं महिलाओं को घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना आदि से राहत दिलवाने के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने इस दिशा में पहल करते हुए महिलाओं की समस्याओं के निदान हेतु UNFPA तथा चिकित्सा (ग्रप–5) विभाग की IPD परियोजना के अन्तर्गत आयोग कार्यालय परिसर में सितम्बर 2004 में परिवार परामर्श केन्द्र की स्थापना की गई। वर्तमान में यह केन्द्र UNFPA एवं NRHM के सहयोग से संचालित किया जा रहा है।

परिवार परामर्श केन्द्र में पीड़ित महिलाओं के भावनात्मक व व्यवहारात्मक पक्ष के साथ–साथ कानूनी पक्ष को भी ध्यान में रखते हुए समय पर उचित परामर्श एवं उपचारात्मक सहायता द्वारा महिलाओं के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन में स्वस्थ समायोजन एवं गुणात्मकता बनाए रखने की दिशा में कार्य किया जाता है तथा परिवारों के विघटन को भी रोकने का प्रयास किया जाता है। इस केन्द्र द्वारा आयोग में आने वाली पीड़ित व जरूरतमंद महिलाओं को विधिक सहायता भी उपलब्ध करवायी जाती है।

3.4 व्यक्तिगत सुनवाई प्रकोष्ठ

राज्य महिला आयोग का यह महत्वपूर्ण प्रकोष्ठ है इसके माध्यम से कई टूटे हुए परिवारों को पुनः बसाया जाता है। इस प्रकोष्ठ द्वारा वैवाहिक जीवन व पारिवारिक समस्याओं के बारे में प्राप्त शिकायतों पर दोनों पक्षकारों को सम्मन जारी कर व्यक्तिगत सुनवाई बाबत् आयोग में तलब किया जाता है और नियत पेशी के दिन आयोग की पूर्ण पीठ द्वारा दोनो पक्षकारों की सुनवाई व समझाईश की जाती है और कई मामलों में पति–पत्नी में समझौता करवाकर आयोग से ही उन्हें साथ रहने के लिए भेज दिया जाता है। पीड़ित महिलाओ को इस प्रकोष्ठ के माध्यम से त्वरित न्याय दिलाया जाता है। इस प्रकोष्ठ के द्वारा कार्यस्थल पर उत्पीडन, दहेज प्रताड़ना, स्त्रीधन की सुपुर्दगी, घरेलू हिंसा व द्विविवाह संबंधी मामलों का भी दोनों पक्षकारों की आपसी समझाईश के माध्यम से समाधान किया जाता है। आयोग की सुनवाई पीठ द्वारा पीडित महिलाओं को उसके पति व ससुरालजनों से भरण–पोषण राशि व उसका स्त्रीधन भी शीघ्र कार्यवाही कर दिलवाया जाता है। इस प्रकोष्ठ में वर्ष 2009–10 में कुल **87** मामले दर्ज हुए जिनकी त्वरित गति से सुनवाई करते हुए दोनो पक्षों की समझाईश की गई और **51** मामलों को आयोग ने सक्रियता से निस्तारण करने में सफलता प्राप्त की और पीडिता को न्याय दिलवाया **36** मामलों में नियमित सुनवाई द्वारा पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए आयोग त्वरित कार्यवाही कर रहा है।

3.5 शिकायत शाखा

राज्य महिला आयोग में डाक द्वारा, व्यक्तिगत रूप से या स्वयं आयोग द्वारा प्रसंज्ञान लेकर दर्ज की गई ऐसी शिकायतें जिनके निस्तारण में पुलिस प्रशासन, राज्य सरकार के विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों या अन्य संस्थाओं के सहयोग की भूमिका होती है, आयोग की शिकायत शाखा में पंजीकृत की जाती है। प्रकरणों की प्रकृति के अनुसार आयोग द्वारा पत्र व्यवहार कर

संबंधित विभाग के अधिकारी को समस्या के शीघ्र समाधान के लिए निर्देशित किया जाता है। आयोग द्वारा ऐसे प्रकरणों पर उनके निस्तारण होने तक नियमित निगरानी की जाती है और त्वरित गति से पीडिता को न्याय दिलाने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को सक्रिय किया जाता है। इस प्रकोष्ठ में वर्ष 2009–10 में कुल 1136 मामले पंजीकृत हुए जिनमें बलात्कार, अपहरण, दहेज हत्या, दहेज प्रताडना, हत्या, भरण–पोषण, द्विविवाह, भूमि विवाद व कार्यस्थल पर उत्पीड़न जैसे मामले प्रमुख थे। पंजीकृत मामलों में से 428 प्रकरणों का त्वरित गति से निस्तारण कर पीड़िता को न्याय

दिलवाया गया तथा 708 मामले अभी कार्यवाही में है जिनमें निरन्तर निगरानी की जा रही है और पत्र व्यवहार द्वारा अधिकारियों को अतिशीघ्र पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए समय–समय पर निर्देशित किया जा रहा है।

अध्याय – 6 आयोग द्वारा निस्तारित सफल प्रकरणों का विवरण

आयोग द्वारा वर्ष 2009–2010 में प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही करते हुए कई प्रकरणों का निस्तारण किया गया। ऐसे निस्तारित प्रकरणों में से सफलतम कुछ प्रकरणों का विवरण निम्न प्रकार दिया गया है।

1. सुश्री सीमा, आयु 23 वर्ष दिनांक 31.03.2009 को आयोग में उपस्थित होकर बताया कि उसके माता–पिता का बचपन में ही देहान्त हो गया था। बुआ ''आर'' ने उसे पाला पोसा। बुआ गुस्सैल स्वभाव की है, मारपीट करती है और आत्महत्या के लिए प्रेरित करती है। सीमा द्वारा बतलाऐ गये मोबाइल नम्बर से सीमा की बुआ की लड़की आशा, पुजा व महेन्द्र पाल को आयोग बुलाया। सारी समस्या बारी–बारी से सुनी गई। सभी को समझाया गया। सीमा अपनी बुआ की लड़की आशा के घर रहने एवं वहां रहकर ब्यूटी पॉर्लर का काम भी सीखन को तैयार हो गई।

   सीमा को पुनः तारीख पेशी 11.05.2009 को बुलाया। सीमा अपनी बुआ की लड़की आशा के साथ आयोग में आई। सीमा ने बतलाया कि वह राजी खुशी है और कोई तकलीफ नहीं है।

   सीमा को फिर तारीख पेशी 11.08.2009 को आयोग में आना था। लेकिन वह नहीं आई। दूरभाष पर बतलाया कि वह राजी खुशी रह रही है और कोई तकलीफ नहीं है। सीमा ने प्रकरण को बन्द करने का निवेदन किया।

2. श्रीमती शकुन्तला ने आयोग में शिकायत कि की उसके पति का देहान्त हुए 24 वर्ष हो गऐ। उसके 4 बेटे व 4 बहूऐ है और चारों अलग–अलग रहते है। छोटा बेटा ''एन'' व उसकी बहू तथा बेटा ''आर'' व उसकी बहू अपने माता–पिता के बहकावे में आकर मारपीट करते हैं, झगड़ा करते हैं, आदि–आदि।

   दोनों पक्षकार को 23.06.2009 को बुलाया गया, समझाया गया। दोनों बेटों एन व आर ने आश्वस्त किया कि वह अपनी बहूओं को समझाऐंगे कि वह माता शकुन्तला के साथ दुर्व्यवहार नहीं करें। दोनों बेटे एन व आर अपनी मां शकुन्तला को प्रतिमाह रूपये 500 + रूपये 500 जून, 2009 से देने के लिए तैयार हो गऐ।

   अनुपालना हेतु 23.07.2009 एवं 08.10.2009 को बुलाया गया। दोनों बेटे अपनी मां को 500 + 500 रूपये प्रतिमाह दे रहें है और पुत्रवधूऐं भी परेशान नहीं कर रही है, परिवार में शांति है।

3. श्रीमती तरूणा शर्मा ने अपने पति कुलदीप के विरूद्ध शिकायत दर्ज करवाई कि उसका पति बैंक मे च.श्रे.क. के पद पर कार्यरत है। रोजाना शराब पीकर उसके व बेटी के साथ मारपीट, गाली–गलौच करता है। निर्वस्त्र कर घर से निकाल देता है, घर पर राशन नहीं डलवाता है आदि–आदि।

पहली तारीख पेशी 02.07.2009 को कुलदीप नहीं आया, उसे अगली पेशी 10.08.2009 को जरिए पुलिस बुलाया गया। कुलदीप को हिदायत दी गई कि वह पत्नी तरूणा शर्मा के साथ भविष्य में मारपीट नहीं करेगा और घर खर्च के लिए प्रतिमाह रूपये 3000 /– दें। अनुपालना के लिए पुनः तारीख पेशी 29.09.2009 दी गई।

दिनांक 29.09.2009 को तरूणा और कुलदीप को आयोग ने सुना। कुलदीप को सलाह दी गई कि वह शराब नहीं पीऐ। घर खर्च के लिए तरूणा को प्रतिमाह रूपये 3000/– देता रहें। अब पहले के मुकाबले इनके घर में शांति है।

4. श्रीमती संतरा रैगर, आयु 52 वर्ष, ने आयोग में शिकायत की कि उसका बड़ा पुत्र चिंरजीलाल व छोटा पुत्र सुरेन्द्र दिन–रात शराब पीकर लड़ाई–झगड़ा करते है। और उसे घर से बाहर निकाल दिया है और वह रिश्तेदारों के यहां जाती है तो उसे बुरी–बुरी गालियां देते है।

उभय पक्षकार को बुलाया गया। सुरेन्द्र ने विश्वास दिलवाया कि उसने शराब पीना छोड़ दिया है और भविष्य मे मां के साथ मारपीट, गाली गलौच अथवा घर से बाहर नही निकालेगा। संतरा का कहना था कि आयोग में शिकायत करने के बाद दोनों बेटे शराब नहीं पी रहे है और मेरे साथ लड़ाई–झगड़ा व मारपीट भी नहीं करते है।

5. श्रीमती माला ने शिकायत कि की उसका पति राजकीय सेवा एस.एम.एस हास्पिटल में कार्यरत है 20 साल से प्रताड़ित कर रहा है। मकान व नौकरी मे उसका नाम नहीं है। पति ने भतीजा रख रखा है, सम्पत्ति उसके नाम करना चाहता है।

दिनांक 15.07.2009 को माला हाजिर। शिव अनुपस्थित। शिव को जरिए अधीक्षक, एस.एम.एस., जयपुर बुलवाया गया।

दिनांक 17.08.2009 को दोनो आऐ। अप्रार्थी शिव को बांवद किया कि वह तमाम दस्तावेज लावे जिसमें पत्नी माला की नामित कर रखा है।

दिनांक 06.10.2009 को माला हाजिर हुई। उसने बताया कि पति शिव बीमार है इसलिए वह नहीं आऐ। माया का कहना है कि उसके परिवार में शांति है और वह अब आयोग में केस नहीं चलाना चाहती है।

6. श्रीमती ममता यादव ने अपनी माता द्वारा ममता से जबरन देह शोषण के लिए मजबूर किऐ जाने की शिकायत की। उसके द्वारा विरोध किये जाने पर उसे घर से निकाल दिया गया इसलिए उसकी सुरक्षा तथा रहने की व्यवस्था करवाई जावें।

श्रीमती ममता की ''रूवा'' में ठहरने की व्यवस्था करवाई गई संबंधित पुलिस अधिकारियों को जांच के लिए पत्र लिखे गऐ। 24.06.2009 को ममता को आयोग मे बुलाया गया, ब्यान दर्ज किऐ गये। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार ममता के द्वारा लगाए गए आरोप असल पाये गऐ।

दिनांक 30.11.2009 को ममता ने दूरभाष पर बताया कि वह उपने पति देषराज के साथ राजी खुशी रह रही है और उसे अब कोई तकलीफ नहीं है।

7. श्रीमती रेखा छींपा ने शिकायत कि की उसकी शादी को 6 वर्ष हो गऐ। दो लड़कियां है। लड़का नहीं होने के कारण मारपीट कर घर से निकाल दिया और एक वर्ष से पीहर में रह रही हूँ।

दिनांक 04.06.2009, 17.06.2009, 20.07.2009, 22.09.2009 को तारीख पेशी पर उभय पक्षकारान् को बुलाया गयां दोनों पति–पत्नि अलग किराऐ के मकान में रहने का तैयार हो गऐं। पति श्यामबाबू को भी पाबन्द किया गया कि रेखा के साथ मारपीट व दुर्व्यवहार नहीं करेगा। श्याम की आमदनी कम थी इनके पिता मोहन प्रतिमाह रू 1000/– परिवार चलाने हेतु श्याम की मदद करेगा।

20.07.2009 को दोनों पति–पत्नि ने बतलाया कि वह राजी खुशी रह रहें है।

22.09.2009 को श्याम ने बतलाया कि वह अपनी पत्नी रेखा को अपने माता–पिता के मकान मे रख रहा है। दोनों पति–पत्नि राजी खुशी रहने लगे इस प्रकार उनकी गृहस्थी सही चलने लगी।

8. श्रीमती गीता सिंह ने आयोग में शिकायत कि की पति धर्मेन्द्र सिंह ने 14.07.2009 को मारपीट कर घर से निकाल दिया है, तीन छोटे बच्चे है। पति के कमल शर्मा नाम की औरत से नाजायाज तालुकात है। रात्रि को घर में देर तक आते है। पति राजकीय सेवा मे कार्यरत है। अतः उसके जान–माल की सुरक्षा करवाई जाऐं।

दिनांक 24.07.2009, 13.08.2009 को सुनवाई की गई। गीता ने बताया कि उसके व पति धर्मेन्द्र सिंह के बीच राजीनामा हो गया है। इनके बीच जो गलतफ़हमी थी, वह दूर हो गई है और गृहस्थी सही चल रही है।

9. श्रीमती ममता ने अपने ससुरालवालों के खिलाफ शिकायत कि उसकी बिना सहमति के जबरदस्ती तलाक के कागजातों पर हस्ताक्षर करवा लिये और विभिन्न प्रकार के आरोप लगाऐं आदि–आदि।

प्रार्थिनी ममता व अप्रार्थी पति जितेन्द्र एवं उसके ताउ प्रभुदयाल को आयोग ने सुना, समझाया। बातचीत में यह बात सामने आई कि ममता अपने पति जितेन्द्र से स्त्रीधन लेना चाहती थी। जितेन्द्र भी ममता को स्त्रीधन देने को तैयार हो गया। दोनों पक्षो में समझौता हो गया।

10. श्रीमती रामभगवती ने आपने पति आर के खिलाफ शिकायत कि की उसका पति आर शराब पीकर मारपीट करता है।

दिनांक 25.08.2009 को सुनवाई की गई। अप्रार्थी, आर ने आश्वस्त किया कि वह शराब पीकर पत्नी रामभगवती के साथ मारपीट नहीं करेगा, 500 रूपये हाथखर्च का देगा।

इसी बीच 31.08.09 को रामभगवती ने बतलाया कि उसका पति उसे अपने घर पर नहीं रख रहा है। इस पर पुलिस अधिकारी को पत्र लिखकर रामभगवती को पुलिस निगरानी मे रखने हेतु लिखा गया जिसका सकारात्मक परिणाम आया। राजेश ने अपनी पत्नी रामभगवती को अपने साथ रखने लगा।

दिनांक 10.11.2009 को दोनों पति पत्नी आऐं। दोनो पति पत्नी राजी खुशी रह रहे थे। 22.12.2009 को फिर सुनवाई की जिसमें भी उन्होंने दोहराया कि उनकी गृहस्थी सही चल रही है।

11. श्रीमती दुर्गेश कंवर उर्फ अस्मिता ने अपने पति व ससुरालवालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा कोर्ट मे दर्ज कर रखा था और उसकी मानसिक स्थिति बड़ी भावुक थी।

आयोग ने उसके पति ''वी'' को सुनवाई 8.09.2009 के लिए बुलाया, समझाइश की। ''वी'' ने पिछली बातों को भुलाकर ''ए'' को साथ ले जाने को तैयार हो गया। ''ए'' भी ''वी'' के साथ जाने को तैयार हो गई।

9.12.2009 को ''ए'' हाजिर हुई और ''वी'' नहीं आया। ''ए'' ने बताया कि वह पति ''वी'' द्वारा दिलाये किराऐ के मकान में रह रही है तथा ननद की शादी के बाद पति ''वी'' उसे अपने घर ले जाऐगा। पति 3000 रूपये दे रहा है।

09.03.2010 को दोनों पति–पत्नी आऐं। दोनों साथ–साथ रह रहें थे और आपस में कोई शिकायत नहीं है। इसी तरह कोर्ट मे चल रहे दहेज केस आयोग की समझाइश से गृहस्थी बस गई।

12. श्रीमती शमी जोशी के पिता शरद जोशी ने शिकायत कि की उसकी पुत्री शमी के साथ पति रवि आऐ दिन हिंसा, मारपीट करता है आदि–आदि।

दिनांक 10.12.2009 को उभय पक्षाकारन् की सुनवाई की दोनों पति–पत्नी के बीच राजीनामा हो गया है। दोनों ने कहा कि वह पुरानी बातों को नहीं दोहराऐंगे और राजी खुशी रहेंगे।

दिनांक 28.04.2010 को शमी जोशी का लिखा पत्र प्राप्त हुआ जिसमें बतलाया कि वह अपने पति रवि के साथ सुखद जीवन व्यतीत कर रही हूँ।

13. श्रीमती पिंकी बलाई ने शिकायत कि की उसका पति पृथ्वीराज व ससुरालवाले दहेज कम लाने के लिए उलाहना देते, मारपीट, गाली–गलौच करते आदि–आदि।

दिनांक 24.08.2009 को सुनवाई हेतु दोनों पति–पत्नी को बुलाया गया। दोनों की समझाइश की। दोनों पति पत्नी साथ–साथ रहने को तैयार हो गऐ। पति पृथ्वीराज ने कहा कि वह 26.08.2009 को ससुराल जाकर पत्नी पिंकी को ले आऐगा और उसे अच्छी तरह से रखेगा।

अनुपालना देखने हेतु दिनांक 22.10.2009 एवं 29.12.2009 को सुनवाई की। दोनों पति पत्नी राजी खुशी रह रहे थे और आपस में कोई शिकायत नहीं थी। इस तरह दोनों की गृहस्थी बस गई।

14. श्रीमती रामादेवी, 80 वर्ष की वृद्ध महिला ने शिकायत कि की उसके 5 पुत्र व 3 लड़कियां है। सबकी शादी हो चुकी है। 2 बच्चे कुंवारे है। पुख्ता मकान उसके नाम है। सब उसके मकान में रहते है। लेकिन खर्चा नहीं देते है।

सभी लोगों को सुनवाई 04.01.2010, 09.02.2010 को बुलाया अशोक, भगवानसहाय एवं पुत्रवधू गौतम ने कहा कि वे प्रतिमाह रूपये 500/– के हिसाब से खर्चा रामादेवी देने को तैयार है लेकिन वह स्वयं के क्रय किए मकान को बिना उनकी सहमति के विक्रय नहीं करें।

03.03.2010 को रामादेवी ने बताया कि केवल बड़ा बेटा भगवानसहाय ही रूपये 500/– प्रतिमाह दे रहा है, शेष खर्चा नहीं दे रहे है। 08.04.2010 को बताया कि पुत्रवधू गौतम उसके मकान से अपना सामान लेकर चली गई है, लेकिन कमरे के ताला लगाकर गई है।

09.06.2010 को ''आर'' की सुनवाई हुई शेष नहीं आऐ। तत्पश्चात 08.07.2010 को पुत्रवधू गौतम ने बतलाया कि वह नीचे के कमरे का ताला 11.07.2010 को खोल देगी।

26.10.2010 को रामादेवी ने बतलाया कि उसकी पुत्रवधू गौतम ने नीचे के कमरे का ताला 11.07.2010 को खोल दिया और अब उसे कोई तकलीफ नहीं है।

15. श्री अभिषेक रंजन सॉफटवेयर कम्पनी में 15000 रूपये की नौकरी करता है, ने शिकायत कि की उसने रीता चौधूर से आर्यसमाज में 12.03.2009 को शादी कर ली। लेकिन रीता के माता–पिता उसे घर से नहीं निकलने दे रहे है। हम दोनों पति–पत्नी साथ रहना चाहते है।

26.02.2010 को अभिषेक ने दूरभाष पर बताया कि रीता के माता–पिता से उसकी बात हुई है वे उसकी कोर्ट मैरिज कराने तथा बाद में मे रीति–रिवाज से शादी कराने को तैयार है।

22.03.2010 को अभिषेक व रीता सुनवाई हेतु आऐ। उन्होंने बतलाया कि उनकी शादी रिति–रिवाज से 04.07.2010 को होगी।

26.07.2010 को अभिषेक ने दुरभाष पर बताया कि वह पत्नी रीता के साथ आराम से रह रहा है और कोई तकलीफ नहीं है।

16. मीरा ने शिकायत कि की उसका विवाह 25 वर्ष पहले प्रभुदयाल से हुआ। वह राजकीय चिकित्सालय, आंधी में च.श्रे कर्मचारी के पद पर कार्यरत है लेकिन घर खर्च नहीं देता है। बच्चों के पालन–पोषण में परेशानी हो रही है। पति खेती की जमीन पर भी खेती नहीं करने देता है।

21.01.2009 को प्रभुदयाल पत्नी को साथ ले लाने को बच्चों का भरण–पोषण करने को तैयार है। मीरा भी जाने को तैयार है।

08.04.2009 को यह बात सामने आई कि प्रभुदयाल व बच्चों व पत्नी का पालन–पोषण नहीं कर रहां है। मीरा गांव में ही अलग रहती है, मारपीट करता है। जेठाणी मनभर ने मीरा को निकाल दिया। प्रभुदयाल को समझाया गया। इस पर वह पत्नी मीरा को रूपये 4000 प्रतिमाह भरण–पोषण हेतु तैयार हो गया व मारतीट नहीं करने का वचन दिया।

20.05.2009, 09.06.2009 को प्रभुदयाल ने 4000 रूपये प्रतिमाह के हिसाब से नहीं दे रहा है। इस पर चिकित्सा अधिकारी, आंधी डिपस्स्पेशरी को लिखा गया कि वह प्रभुदयाल के वेतन से काटकर मीरा के बैंक खाते में जमा कराऐ ताकि मीरा व बच्चों का भरण–पोषण हो सके।

07.07.2009 को मीरा ने बचत खाता नम्बर प्रभुदयाल को दिया। अब प्रभुदयाल उसके बचत खाते में रूपये 4000/– प्रतिमाह के हिसाब से जमा करने को तैयार था।

10.08.2009 को आयोग ने निर्देश दिये कि प्रभुदयाल पत्नी मीरा के खाते मे रूपये 6000/– प्रतिमाह जमा कराऐं।

26.10.2009 को प्रभुदयाल नहीं आया, इस पर उसके अधिकारी को वेतन से राशि काटकर मीरा को दिलाने हेतु आदेश दिऐ गये।

15.12.2009, 10.02.2010 को दोनों पक्षकारान् नहीं आऐ।

06.04.2010 को प्रभुदयाल ने बताया कि वह पत्नी मीरा के बैंक खाते मे जून 2009 से प्रतिमाह रूपये 6000/– जमा करवा रहा है।

12.07.2010, 14.09.2010 को फिर मीरा नहीं आई।

इस प्रकार मीरा को पति प्रभुदयाल से 6000/– भरण–पोषण राशि मिलने लगी और वह साथ रहकर गृहस्थी बसा रहे है।

17. माया ने शिकायत कि की उसकी पुत्री सुमन की शादी 27.04.2008 को रामावतार से की थी। लेकिन वह मारपीट व झूंठे इल्जाम लगाकर सुमन को छोड़ने व जान से मारने की धमकी दे रहा है।

29.06.2009 को दोनों पति–पत्नी को समझाया। दोनों साथ–साथ रह रहें है। सुमन की मां माया को समझाया कि वह उनके पारिवारीक जीवन मे हस्तक्षेप नहीं करें। रामावतार अपनी पत्नी सुमन को जून 2009 के हाथ खर्च के 500/– प्रतिमाह दिऐ और जुलाई 2009 से 500/– हाथ खर्च के देने को तैयार हो गया।

18. श्रीमती तरूण अग्रवाल ने अपने माता–पिता के विरूद्ध शिकायत की कि वह ससुराल मे राजी खुशी है। लेकिन माता–पिता उसे माध्यम बनाकर ससुरालवालों के विरूद्ध दहेज प्रताड़ना की धमकी पति को देते है।

दिनांक 13.09.2010 को उभय पक्षकारन् को बुलाकर सुना गया। तरूण के माता–पिता ने आश्वस्त किया कि वह पुत्री तरूण की गृहस्थी मे दखलदांजी नहीं करेंगे और ना ही उसकी मर्जी के बिना उससे मिलेंगे और ना ही फोन पर बात करेंगे।

दिनांक 17.01.2011 को पुनः सुना गया। पीड़िता तरूण ने बताया कि उसके माता–पिता 13.09.2010 के बाद उसकी गृहस्थी में दखलदांजी नहीं कर रहे हैं और ससुराल मे राजी खुशी है।

19. प्रार्थीनी रूहब खान ने अपने उच्चाधिकारी के विरूद्ध कार्यस्थल पर यौन–उत्पीड़न की शिकायत की थी।

जिसके क्रम मे उभय पक्षकारान् को सुनवाई हेतु 12.08.2010 को बुलाया। दोनों ही पक्षकारान् अनुपस्थित रहें। दिनांक 15.09.2010 को पुनः सुनवाई हुई जिसमें दोनों पक्ष हाजिर हुऐ। प्रार्थिनी रूहब खा ने बताया कि उसकी समस्या का समाधान हो गया है। अब उसे उसके उच्चाधिकारी से किसी प्रकार की समस्या नहीं है तथा आगे प्रकारण नहीं चलाना चाहती है।

20. श्रीमती डिंकल जैन ने शिकायत कि की उसने प्रेम विवाह किया था। लेकिन पति राकेश शर्मा लड़ाई–झगड़ा करके पीहर छोड गऐ। पीहर में रहती हूॅ अपनी गृहस्थी बसाना चाहती हूॅ।

दिनांक 21.07.10 को पति–पत्नी को सुना। दोनों पति–पत्नी साथ रहने को तैयार हो गऐ। राकेश शर्मा, डिंकल जैन को साथ ले गया।

23.08.2010, 08.09.2010 को दोनों पति–पत्नी नहीं आऐं। 08.09.2010 को डिंकल जैन के पिता दिलीप कुमार जैन ने बतलाया कि उसकी बेटी डिंकल जैन ससुराल मे राजी खुशी रह रही है।

21. श्रीमती शाहीन बानो ने शिकायत कि की उसके पति की मृत्यु हो गई है। दो बच्चे है। पति के खरीदे जे.डी.ए. मकान के पट्टे पर जेठ मकान नहीं बनाने देता है।

उभय पक्षकारान् को 03.03.2010 को सुनवाई हेतु बुलाया। जेठ मोहम्मद युनूस इस बात के लिए राजी हो गया कि शाहीन बानो खाली जमीन 19′ X 25′ =56 गज मे अपना निर्माण कार्य करवा लेवें तो उसे कोई आपत्ति नहीं हैं। पानी बिजली का कनेक्शन अलग लेवें। 05.05.2010, 20.07.2010 को दोनों पक्ष अनुपस्थित रहें।

05.08.2010 को शाहीन ने बतलाया कि उसके मकान पर निर्माण कार्य करवाकर पूरा बना लिया और जेठ मोहम्मद युनूस से कोई शिकायत नहीं है।

22 श्रीमती कृष्णा कुमावत, जिला जयपुर ने अपने ससुरालवालो के विरूद्ध शिकायत दर्ज करवाई कि वह दहेज के लिए आऐ दिन मारपीट करते है और घर से निकाल दिया है। आऐ दिन तलाक की धमकियां देते है। वह पिछले एक वर्ष से पीहर में रह रही है।

उभय पक्षाकारान् को सुनवाई हेतु आयोग मे बुलाया गया। दोनों पक्षों की समझाइश की । दोनों पति–पत्नी पुरानी बातों को बुलाकर साथ रहने को तैयार हो गऐं। विभिन्न तारीख पेशियों पर दोनों पति–पत्नी को पुनः समझाया गया। दानों की गृहस्थी ठीक चल रही है। परिवार में अब शांति है।

अध्याय – 7 आयोग द्वारा वर्ष 2009–10 में प्राप्त शिकायतों का विवरण

वर्ष 2009–10 में आयोग का विभिन्न प्रकृति की शिकायतें व्यक्तिगत व जनसुनवाई में एवम् डाक द्वारा प्राप्त हुई जिनमे दहेज क्रूरता, दहेज हत्या, भरण–पोषण, हत्या, हत्या का प्रयास, बलात्कार, बलात्कार का प्रयास, अपहरण, यौन उत्पीड़न, भूमि विवाद व घरेलू हिंसा की शिकायतें प्राप्त हुई। आयोग में दर्ज शिकायतों का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है।

दिनांक 01 अप्रैल, 09 से 31 मार्च, 10 तक आयोग में प्राप्त प्रकरणों की स्थिति

प्रकोष्ठ	प्राप्त प्रकरण	निस्तारित	प्रक्रियाधीन
व्यक्तिगतसुनवाई	87	51	36
शिकायत शाखा	1136	428	708
कुल योग	**1223**	**479**	**744**